कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/28/2024

अशोक कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट निवासी खादी भण्डार के उपर, मथुरा गेट बाहर, भरतपुर मो.नं. 9414268476

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 28.06.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट निवासी खादी भण्डार के उपर, मथुरा गेट बाहर, भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी एंव सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/398 दिनांक 10.06.2024 से लोक सूचना अधिकारी से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर से कोई भी जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

2......

आरटीआई / अपील / 2024 / 28
नवल शर्मा बनाम सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर

अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी एंव सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना, अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एंव सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /34/2022

प्रेम सिंह पुत्र हुकम सिंह जाति जाट निवासी धौरमुई तहसील व जिला भरतपुर
.....अपीलान्ट

बनाम

नायव तहसीलदार द्वितीय भरतपुर

.......रेस्पो०

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश नायव तहसीलदार द्वितीय भरतपुर दिनांक 23.12.2021

उपस्थित :–
1–श्री विमलसिंह , अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार उपस्थित,

निर्णय दिनांक 03.07.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश दिनांक 23–12–2021 नायव तहसीलदार द्वितीय भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 692/0.05 किस्म गै0 मु0 चाह ग्रांम घौरमुई से बेदखल किये जाने एवं पैनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलब की गई एवं रेस्पो की तलबी की गई। तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 692/0.05 पर पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त में चला आरहा है। विवादित आराजी की भूमि किस्म गैर मुमकिन चाहा है, उक्त रकवे पर प्रार्थी कृषि सिंचाई हेतु निजी बोंरिक लगाया हुआ है, जिससे अपीलान्ट स्वयं की आराजी व आस पास के अन्य काश्तकारों की खेती की सिंचाई होती है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि विवादित आराजी खसर नम्बर 692/0.05 के चारों ओर चिपटवॉ अपीलान्ट स्वयं के खसरा नम्बर 690/0.11,691/0.05, 705/0.25 एवं अपीलान्ट की पत्नी विरमा

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

देवी की खातेदारी नम्बरा 660/0.24, 662/0.11, 663/0.15, 694/0.19, 695/0.11 तथा 703/0.07 आराजी स्थित है। विवादित आराजी भूमि किस्म गेर मुमकिन चाह है, उक्त स्ट्रीप आफ लेन्ड की परिभाषा में आती है, अपीलान्ट विवादित आराजी को Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules 1970 के नियम 19 के तहत आवन्टन /नियमन कराने का हकदार रहता है। तहत न्यायालय को विवादित भूमि स्ट्रीप आफ लेन्ड होने के नाते धारा 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी। तहत न्यायालय को विवादित आराजी को अबांटन/नियमन किये जाने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर विवादित आराजी को आबंटन/ नियमन की जावे।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने राजकीय आराजी पर कुंआ एवं ढेंचा की फसल बोकर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी के आधार नायव तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 692 रकवा 0.05 हे0 किस्म भूमि गै0मु0 चाह जिस पर अपीलान्ट ने सिंचाई के लिये कुआं बना हुआ है, ट्यूबैल से आस पास खेतों की सिंचाई होना अपीलान्ट जाहिर करता है। जहॉ तक प्रश्न स्ट्रीप ऑफ लेन्ड का है यह जांच का बिन्दू है। अतः प्रकरण को जांच हेतु नायव तहसीलदार द्वितीय भरतपुर को रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायव तहसीलदार द्वितीय भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules 1970 के नियम 19 के परिप्रेक्ष्य में जांच करें तथा अपीलान्ट को सुनवाई को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03-07-2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 14(4) / 01 / 2018

1–राजेन्द्र । पिसरान श्री मक्खन लाल जाति गुर्जर निवासी ग्रांम बंजी
2–हुकमसिंह ।
3–मोती ।पिसरान श्री भगवत जाति ब्राहम्ण तहसील व जिला
4–बलवीर । भरंतपुर

.......प्रार्थी

बनाम

1– सुगन पुत्र कैलाशी ।
2– राजेश पुत्र जवाहरसिंह
3– मोहन देई बेबा जवाहरसिह
4– राजन देई पुत्री जवाहरसिह
5– रेखा पुत्री जवाहरसिंह
6– चन्दू पुत्र मोहनसिह (मृतक)
6 / 1–चन्दा वेवा चन्दू
6 / 2–सुजान पुत्र चन्दु
6 / 3–जगन पुत्र चन्दू
6 / 4–कुवरसैन पुत्र चन्दू
6 / 5–विज्जो पुत्री चन्दू

जाति जाटव निवासी निवासी ग्रांम बंजी तहसील व जिला भरतपुर

7– अध्यक्ष आंवटन सलाहाकार समिति जरिये पैरोकार सरकार

......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंबटन नियम 1970 विरुद्ध आंबटन सलाहकार समिति भरतपुर आदेश दिनांक 26.11.1976

———

अपील संख्या 16 / 2023

1–राजेन्द्र । पिसरान श्री मक्खन लाल जाति गुर्जर निवासी ग्रांम बंजी
2–हुकमसिंह ।
3–मोती ।पिसरान श्री भगवत जाति ब्राहम्ण तहसील व जिला
4–बलवीर । भरंतपुर

.......अपीलान्ट

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र/ 14(4)/01/2018
अपील संख्या 16/2023

बनाम

1–राजेश पुत्र जवाहर सिंह
2–मोहन देई पत्नी जवाहरसिंह
3–राजन देई पुत्री जवाहरसिह
4–रेखा पुत्री जवाहरसिंह

जाति जाटव निवासी ग्रांम बंजी तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 20.4.2023 तहसीलदार भरतपुर प्रकरण संख्या 1/2018 अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट।

उपस्थितः–
1– श्री सोनीराम शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
2– श्री पुष्पेन्द्र चौधरी अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय   दिनांक 5.07.2024

प्राथीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंबटन नियम 1970 के विरुद्व अप्रार्थी0 वखिलाफ आंबटन सलाहकार समिति भरतपुर आदेश दिनांक 26.11.1976 पेश किया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 566/14.7 हाल खसरा नम्बर 649/699/1–11 ग्रांम बंजी तहसील भरतपुर बनाया गया है यह गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है, जिसमें होकर ग्रांम वासीयान खेतों को आते जाते हैं। उक्त आराजी से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 645व 646 व अन्य आराजी रास्ते से लगी हुई है जिन पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त साविक खसरा नम्बर 566/14–7 ग्राम वंजी जो कि गैर मुमकिन रास्ता है को गैर कानूनी रुप से दिनांक 26–11–1976 को राजस्व कैम्प एक्टा में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा कैलाशी पुत्र झगुला गवले पुत्र सुन्दर, मांगी लाल पुत्र गिलमोली व चन्दू पुत्र मोहनलाल को आबंटन कर

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र/ 14(4)/01/2018
अपील संख्या 16/2023

दिया है। आबंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है। एस.डी.ओ.साहब को किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। उक्त आंबटन आदेश दिनांक 26.11. 1976 को निरस्त कराने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी0 द्वारा पेश किया गया है।

प्रार्थी0 ने एक अपील विरुद्ध रेस्पो व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर तारीखी 20.4.2023 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार भरतपुर ने प्रार्थना पत्र 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण उनवानी राजेश वगै0 बनाम राजेन्द्र वगै0 में कार्यवाही करते हुये विवादित आराजी खसरा नम्बर 649/699 रकवा 1.1100 है0 ग्रांम बंजी से प्रार्थीगण (अनुसुचित जाति) की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण (राजेन्द्र वगै0) द्वारा विधि विरुद्ध किये अतिक्रमण को तुरन्त प्रभाव से हटवाकर बेदखल कर प्रार्थीगण (राजेश वगै0) को मौके पर कब्जा दिलाया जाने की आज्ञा पारित की है। तहसीलदार भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट राजेन्द्र वगै0 ने यह अपील पेश की है।

दोनों प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। पत्रावली तहत तलब की गई।

उक्त दोनों प्रकरण में एक ही पक्षकारान है तथा विववादित आराजी भी एक ही होने से दोनों प्रकरण में एक ही बहस सुनी जाकर एक ही आदेश से दोनों प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है।

योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई। अप्रार्थी राजेश की ओर लिखित बहस पेश की गई। शेष अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि साविक खसरा नम्बर 566/14-7 ग्राम वंजी जो कि गैर मुमकिन रास्ता है को गैर कानूनी रुप से दिनांक 26-11-1976 को राजस्व कैम्प एक्टा में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा कैलाशी पुत्र झगुला गवले पुत्र सुन्दर, मांगी लाल पुत्र गिलमोली व चन्दू पुत्र मोहनलाल को आबंटन किया गया है जो नियमों के खिलाफ है। विवादित

........4

जिला कलक्टर
भरतपुर

आराजी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है एस.डी.ओ. को भूमि की किस्म परिवर्तन करने के अधिकार नहीं है और नाहीं गैर मुमकिन रास्ता को आंबटन किया जा सकता है। अप्रार्थी0 जब विवादित आराजी पर कब्जा कर मकान वगे. बनाने लगे तब जानकारी करने पर अप्रार्थी0 ने अपने हक में पट्टा होना बताया, तब पट्टा की नकल दिनांक 3.8.2018 को लेकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा है, और ना हीं अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी पर काश्त की है। कैलाशी पुत्र झगुला फौत हो चुका है जिसके अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा.5 वारिस है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि विवादित आराजी के चिपटवॉ प्रार्थीगण के खातेदारी आराजी नम्बर 645 / 0.80, 646 / 0.30 लगे हुये तथा अन्य खातेदारान के आराजी भी है, जिन पर जाने आने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि आबंटन भूमि पर दो वर्ष के भीतर काश्त करने पर आबन्टन वैघ माना जाता है, अप्रार्थी0 ने आंबटित आराजी पर आज तक काश्त नहीं की है। अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक की तारीफ में नहीं आता है ना ही आंबटन योग्य है। विवादित आबंटन अवैध व शून्य है अतः उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा आबंटन आदेश दिनांक 26–11–1976 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट / प्रार्थी0 का यह भी कथन है कि तहत न्यायालय तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.4.2023 अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में पारित किया गया है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता के रुप में है तथा इस आराजी में अपीलान्टान के पूर्वजों के थान भी बने हुये है तथा रेस्पो0 का कभी कब्जा नहीं रहा है ना ही रेस्पो0 के पिता व पति जवाहरसिंह का कभी कब्जा रहा ना ही कैलाशी का कभी कब्जा रहा तो उनके बेदखल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तहत न्यायालय ने रेस्पो0 के बयान आदि का बिना अवलोकन किये जैरे अपीलाधीन आदेश नियम विरुद्ध पारित किया है जो खारिज योग्य है। हाल जमांबदी में दर्ज इन्द्राज रेस्पो0 को देखकर तथा उनकी अनुसुचित जाति होने के कारण होने के कारण ही मनमाने तरीके से विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1989 पेज 203, आरआरडी 1955 पेज 624, आरआरडी 1992 पेज 496, आरबीजे 2001 पेज 470, उद्धरत किये तथा प्रार्थी / अपीलान्ट ने अपील

........5

जिला कलक्टर
भरतपुर

स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.4.2023 निरस्त किये जाने एवं उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा आबंटन आदेश दिनांक 26–11–1976 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

रेस्पो0 / अप्रार्थी राजेश की ओर से लिखित बहस पेश की गई है। जो संक्षेप में इस प्रकार है, प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंबटन नियम 1970 विरुद्ध आबंटन आदेश दिनांक 26.11.1976 उपखड अधिकारी भरतपुर के खिलाफ विधि विरुद्ध पेश किया गया है। अपीलान्ट ने अनुसूचित जाति के रेस्पो0 की आराजी पर विधि विरुद्ध जबरदस्ती कब्जा अतिक्मण किया है । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा विवादित आराजी का आंबटन रेस्पो0 राजेश के पूर्वज कैलाशी को ग्रांम बंजी कैंप एक्टा तहसील भरतपुर मे किया गया था। बाद में जरिये दाखिल खारिज नंबर 174 दिनांक 4.8.2004 को विरासत विवादित आराजी रेस्पो राजेश को प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 20.4.2023 में की है। विवादित आराजी खसरा नंबर 649 / 699 रकवा 1.1100 है0 पर अन्य खातेदरान के साथ रेस्पोडेन्ट भी खातेदार है तथा विवादित आराजी विरासतन रेस्पो को प्राप्त हुई है। प्रार्थी ने विवादित आराजी मे रास्ता गैर मुमकिन रास्ता या सड़क होने सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। मोके पर कोई रास्ता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपने जबाब दावे की मद संख्या 4 में विवादित आरजी पर अपना कब्जा होना स्वीकारते हैं इसलिए अपीलान्ट का यह कृत्य अतिचारी की श्रेणी में आता है। बिना किसी सक्षम आदेश के किसी व्यक्ति कि खातेदारी में थान बना लेना ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है जिसकी पुष्टी तहत न्यायालय ने अपने आदेश में की है और जब कि दिनांक 6.6.2023 को गिरदावर एवं पटवारी विवादित मौके पर नाजायज अतिक्रमय को हटवाने के लिये गये और रेस्पो को कब्जा दिलाने के लिए गए तो अपीलान्ट एवं उसके साथ हुकमसिंह वगे ने काम नहीं करने दिया गाली गलोंच की जिसकी एफआईआर 329 / 2023 थाना सेवर में दर्ज कराई गई। विवादित आराजी खसरा नम्बर पर रेस्पो राजेश पुत्र जवाहर सिंह व मोहनदेई पत्नी स्व0 जवाहर सिह, राजनदेई, रेखा पुत्रीयान जवाहर सिह कौम जाटव विरासतन खातेदार दर्ज हैं। अनुसूचित

जिला कलक्टर
भरतपुर

जाति के सदस्यों की खातेदारी आराजी पर अपीलान्ट ने नाजायज कब्जा अतिकमण किया हुआ है। अपील अपीलान्टान खारिज की जावे तथा रेस्पो0 की खातेदारी पर अपीलान्टान द्वारा किया गया नाजायज कब्जा अतिकमण को हटवाया जाकर अप्रार्थी(रेस्पो0) राजेश कुमार को कब्जा दिलाया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा विवादित आराजी का आंबटन विधिवत किया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में आरआरडी 1985 पेज 174, आरआरडी 1977 पेज 676, आरआरडी 1996 पेज 673, उद्धरत किये तथा प्रार्थना पत्र नियम 14(4) एवं अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावलीयों का गहन अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। तथा योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। तहत न्यायालयों की पत्रावलीयों में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया। उपखड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आबंटन आदेश दिनांक 26–11–1976 एवं तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.4.23 पर गौर किया गया।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी / अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित साविक आराजी खसरा नम्बर 566 / 14–7 ग्रांम बंजी गैर मुमकिन रास्ता है जिसका आंबटन नही किया जा सकता है। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा गैर मुमकिन रास्ता की किस्म परिवर्तन कर आबंटन किया गया है। गैर मुमकिन रास्ता की भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की परिभाषा में आती है ऐसी भुमियों का आंबटन या नियमन नहीं किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता का आंबटन विधि विरुद्ध किया गया है अतः आबंटन आदेश दिनांक 26–11–1976 काबिल निरस्त योग्य रहता है।

तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–4–2023 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलान्ट / रेस्पो के खिलाफ आर.टी.एक्ट की धारा 183बी के तहत कार्यवाही करते हुये अपीलान्टान / प्रार्थीगण को अतिक्रमण से बेदखल करने के आदेश

........7

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 14(4) / 01 / 2018
अपील संख्या 16 / 2023

दिये हैं। तहसीलदार भरतपुर ने उक्त आदेश आंबटन के खिलाफ प्रार्थना पत्र 14(4) के निर्णायाधीन रखते हुये पारित किया गया था। चूँकि प्रार्थना पत्र प्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार किया जाकर आंबटन आदेश दिनांक 26–11–1976 को निरस्त हो जाने से तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.4.2023 प्रभावहीन होने काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 14(4) संख्या 01 / 2018 स्वीकार किया जाता है उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आंबटन आदेश दिनांक 26–11–1976 निरस्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट नं. 16 / 2023 स्वीकार की जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.4.2023 खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत आंबटन उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को एवं तहसीलदार भरतपुर की तहत फाईल वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 5–7–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर

फर्द अहकाम

अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर

सुनील सोनी बनाम लो.सू.अधि. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सीकरी

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर ..36 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
15.07.2024	प्रार्थी/अपीलान्ट सुनील सोनी पुत्र सियाराम निवासी मौहल्ला कुण्डा का वास ग्राम एवं पोस्ट सीकरी तहसील सीकरी की यह अपील आर टी आई के तहत **अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सीकरी** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी **अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सीकरी** के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	527 21/07/24 मूल अपील वापस लौटाई।

कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/32/2024

घनश्याम शर्मा निवासी हवेली कप्तान मथुरा प्रसाद, गली बहादुर सिहं, नियर काका जी मार्केट, भरतपुर 321001 मो.नं. 9414026125

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 19.07.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री घनश्याम शर्मा निवासी हवेली कप्तान मथुरा प्रसाद, गली बहादुर सिहं, नियर काका जी मार्केट, भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी एंव सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/473 दिनांक 08.07.2024 से लोक सूचना अधिकारी से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं नगर विकास न्यास भरतपुर के पत्रांक 5365 दिनांक 18.07.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./2024/368 दिनांक 03.06.2024 को डॉक द्वारा दिनांक 07.06.2024 को उपलब्ध करा दी गई है।

आरटीआई / अपील / 32 / 2024
घनश्याम शर्मा बनाम सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जबाब दिया जा चुका है। अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर को भी प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर